सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर के पत्रांक–0934 /अ0सं0क0/ एन0एस0पी0–भ0स0छा0व0/2020–21 दिनॉक–08 सितम्बर, 2020 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–

1. **निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–1298 दिनॉक–01.09.2020 की छायाप्रति।**
2. **जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या–0934 दिनॉक–08.09.2020 की छायाप्रति।**

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 344 /सूचना/2020 दिनांक– 23/09/2020

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्पादक महोदय– अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांकः 0934/अ0सं0क0/एन0एस0पी0–म0स0छा0व0/2020–21 दिनांकः 08 सितम्बर, 2020

1. कुल सचिव, सिद्धार्थ विश्व विद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय आई0टी0आई0, सिद्धार्थनगर।
6. प्रधानाचार्य, एम0टी0जी0बी0 राजकीय पालीटेक्निक, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
7. प्राचार्य/निदेशक, समस्त सम्बन्धित मेरिट–कम–मीन्स सम्बन्धित संस्थान।

विषयः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल के माध्यम से संचालित प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक तथा मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के वर्ष 2020–21 में पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं के पंजीकरण की KYC के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–1298/अ0सं0क0नि0–एन0एस0पी0–2020–21/20 दिनांक 01 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एस0एस0–18/6/2020-Scholarship-Moma दिनांक 09 जुलाई, 2020 द्वारा स्थिति से अवगत कराते हुये वर्ष 2020–21 में शिक्षण संस्थाओं के लिये नवीन दिशा–निर्देश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक 0811 दिनांक 20 अगस्त, 2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उक्त छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित समय–सारणी का उल्लेख कर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के पत्रांक 1121 दिनांक 20.08.2020 की प्रति उपलब्ध कराते हुये पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया किया गया था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31 अगस्त, 2020 को वर्ष 2020–21 में साफ्टवेयर में किये गये Changes के Accordingly कार्य सम्पादन के लिये पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं की KYC होना आवश्यक है तथा आनलाइन आवेदनों में शत–प्रतिशत आधार सीडिंग कराये जाने के भी निर्देश हैं।

अतः निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के उक्त पत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः समयान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं की KYC अनिवार्य रुप से कराकर पोर्टल पर आनलाइन आवेदनों में शत–प्रतिशत आधार सीडिंग कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नकः **निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–1298 दिनांक 01.09.2020 की छायाप्रति।**

भवदीय,

8/9/2020

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन संख्या– उपरोक्तानुसार तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।

Rakesh Sri 2020-21

3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ कि भार सरकार के उपरोक्तानुसार निर्देशों के सम्बन्ध में पोर्टल पर पंजीकृत आपके जनपद संचालित शिक्षण संस्थाओं को नियमानुसार KYC कराये जाने तथा शत–प्रतिशत आध युक्त आनलाइन आवेदन किये जाने से सम्बन्धित अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें। य आपके स्तर से Data पहले Approve कर दिया जाता है और Re-Verification में Reject कर दिया जाता है, तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही त जायेगी। अतएव Data Farwarding में वित्तीय उपाशय निहित होने के दृष्टिगत पृ सजगता आवश्यक है।
5. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, समस्त राज्यानुदानित/गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त शिक्ष संस्थायें/मदरसे, जनपद–सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुस प्राथमिकता के आधार पर KYC कराते हुये आनलाइन आवेदनों में शत–प्रतिशत आध सीडिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश,
620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 1298 /अ0स0क0नि0--एन0एस0पी0--2020--21/20 दिनांक 01 सितम्बर अगस्त, 2020

विषयः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल के माध्यम से संचालित प्री--मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के वर्ष 2020--21 में पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं के पंजीकरण की KYC के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या एस0एस0--18/6/2020-Scholarship-Moma दिनांक 09 जुलाई, 2020 द्वारा निम्नानुसार स्थिति से अवगत कराते हुये वर्ष 2020--21 में शिक्षण संस्थाओं के लिये नवीन दिशा निर्देश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

The provision of KYC registration of institutes and their approval is open on NSP.The pending schools/institutions are required to fill the KYC application form and submit it on NSP for the approval of the concerned State Nodal Officer (SNO)/District Nodal Officer (DNO). The detailed procedure is also available on the Portal. The summary of these pending schools/ institutes is attached and their detailed list is being sent through mail to all SNOs. It is requested that instructions may kindly be issued to the concerned SNOs/DNOs to pursue the matter with the respective Schools/Institutes and ensure that their KYC registration is completed before the opening of the Portal.

It has also been observed that renewal applications, particularly under Pre- Matric (57%) and Post Matric (53%) Scholarship Schemes, has been very low during 2019-20. It is requested that matter may kindly be examined and a report sent to this Ministry along with suggestions to improve renewal applications during 2020-21.

It is also observed that even after five years of launching NSP, the Aadhaar seeding/authentication for scholarship beneficiaries is around 70-80% under three different scholarship schemes. Thus, to ensure 100% Aadhaar seeding/authentication for scholarship beneficiaries, States/UTs are requested that while giving advertisements/publicity for these schemes, it may be emphasized that the online applications may be filed by applicants on NSP preferably with either Enrollment ID or Aadhaar. States/UTs may also explore other methods to increase Aadhaar seeding/ authentication on NSP and suggest some in case they pertain to this Ministry.

इस सम्बन्ध में आपके जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निदेशालय के पत्र संख्या 823/अ0सं0कनि0--एन0एस0पी0--2020--21/20 दिनांक 23 जुलाई, 2020 तथा पत्र संख्या 1121/अ0सं0क0 नि0--1082--एन0एस0पी0/2020--21 दिनांक 20 अगस्त, 2020 द्वारा वर्ष 2020--21 के लिये जारी समय सारणी भेजते हुये KYC सत्यापनोपरान्त भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि दिनांक 31 अगस्त, 2020 को वर्ष 2020--21 में साफ्टवेयर में किये गये Changes के Accordingly कार्य सम्पादन के लिये पोर्टल पर दर्ज शिक्षण संस्थाओं की KYC होना आवश्यक है तथा आन लाइन आवेदनों में शत--प्रतिशत आधार सीडिंग कराये जाने के भी निर्देश हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों का सहयोग भी अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया अनु सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के जारी उक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग--3, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के पत्र संख्या के पत्र संख्या भा0स0 14/52--3--2020--सा(43)/2020 दिनांक 21 अगस्त, 2020 के कम में।

2. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि भारत सरकार के उपरोक्तानुसार निर्देशों के सम्बन्ध में पोर्टल पर पंजीकृत आपके जनपद में संचालित शिक्षण संस्थाओं को नियमानुसार **KYC** कराये जाने तथा शत-प्रतिशत आधार युक्त आन लाइन आवेदन किये जाने से सम्बन्धित निर्देश प्रसारित कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी **District Nodal Officer** के स्तर से **Data** पहले **Approve** कर दिया जाता है और **Re-Verifcation** में उसे **Reject** कर दिया जाता है तो सम्बन्धित **Farwarding Authority** के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी अतएव **Data Farwarding** में वित्तीय उपाशय निहित होने के दृष्टिगत पूर्ण सजगता आवश्यक है।

3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/ बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि प्रकरण में अपने स्तर से समस्त औपचारिक प्राथमिकताए पूर्ण कराने का कष्ट करें।

(जे0पी0सिंह)
निदेशक

निःशुल्क प्रकाशनार्थ

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा संचालित वित्तीय वर्ष 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थान स्तर से आनलाइन आवेदन अग्रसारण एवं धनराशि वितरण हेतु नवीन प्रस्तावित समय–सारिणी निगर्त की गयी है। जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 107/2020/2122/26–3–2020–4(358)/07 टी0सी0 III दिनांक 02.09.2020 द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये हैं:–

छात्रवृत्ति योजना	छात्रवृत्ति आवेदन की समय–सारिणी	संस्थानों द्वारा अग्रसारण की समय–सारिणी	छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत	01 अगस्त से 05 सितम्बर 2020 तक (आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं हेतु 01 अगस्त से 05 नवम्बर, 2020 तक अनवरत जारी रहेगा)	02 अगस्त, 2020 से 11 सितम्बर, 2020	02 अक्टूबर, 2020

अतः समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एजाजुल हक खान)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर

पत्रांकः 0933 /अ0सं0क0/रा0स0छा0वृ0/2020–21 दिनांक 08 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुल सचिव, सिद्धार्थ विश्व विद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से सभी संबंधित शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से सभी शिक्षण संस्थाओं को संसूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करायें।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति समस्त समाचार–पत्रों (हिन्दी/उर्दू) में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, मान्यता प्राप्त अनुदानित/गैर अनुदानित मदरसाज, जनपद–सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
10. नोटिस बोर्ड कार्यालय/विकास भवन/कलेक्ट्रट आदि पर चस्पा हेतु।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।